न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 152/2018

1 घड़सीराम पुत्र वीरू जाति मेघवाल निवासी दूदी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 होशियार सिंह पुत्र सोहनराम।
2 मंगेजाराम पुत्र सोहनराम।
3 राजकुमार पुत्र सोहनराम।
4 सुभाष पुत्र सोहनराम।
5 देवकरण पुत्र सोहनराम।
6 भागा देवी पत्नी सोहनराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण दूदी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
7 यूको बैंक शाखा पिलानी जरिये शाखा प्रबन्धक यूको बैंक पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
8 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पिलानी जरिये शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बैंक पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
9 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 05.10.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ उनवानी दावा होशियार सिंह बनाम घड़सीराम आदि मुकदमा नम्बर 171/2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 26.3.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 171/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 वादीगण ने एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के समक्ष घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम दूदी तत्कालीन चिड़ावा हाल तहसील सूरजगढ़ में स्थित भूमि खेत गत खसरा नंबर 71 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर नंबर 74 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 53 बीघा 4 बिस्वा स्थित है जिसके सैटलमेंट के दौरान हाल खसरा नम्बर 124 रकबा 1.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 रकबा 2.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 4.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 129 रकबा 4.31 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 13.45 हैक्टेयर स्थित ग्राम दूदी तहसील सूरजगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज घडसी वल्द वीरू हिस्सा 1/3 को हजब किया जाकर पक्षकारान का दावा के मध्य बाई मिट्स एवं बाई बाउण्ड्स किया जाकर सड़क तक वादीगण के हिस्से मे आयी भूमि तक रास्ता कायम किया जाना फरमाया जावे तथा वादीगण के हिस्से में आयी भूमि 1/3 हिस्से की भूमि पर वादीगण का अलग से कब्जा करवाया जाकर भूमि का लगान भी अलग से कायम किया जाना फरमाया जावे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना फरमाया जावे कि वह वादीगण अपने मकानात से सड़क तक आने जाने में कोई बाधा कारित नहीं करे तथा वादीगण के कब्जा व काश्त में कोई दखलअंदाजी नहीं करे। उक्त दावे में नोटिस जारी होने पर प्रतिवादी/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 24.11.2017 को वकालतनामा एवं राजीनामा प्रस्तुत किया। उक्त राजीनामा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान दावा के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। यह कि भूमि खेत खसरा नम्बर 124 रकबा 1.857 हैक्टेयर, खसरा नंबर 127 रकबा 2.83 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128 रकबा 4.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 4.31 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 13.45 हैक्टेयर स्थित ग्राम दूदी तहसील सूरजगढ़ का वादीगण 1 लगायत 6 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 2/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के रास्ते का प्रावधान रखते हुए पक्षकारान दावा के मध्य बाई मिट्स एड बाई बाउण्डस खाता विभाजन किया जाना फरमाया जावें तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज घडसी वल्द वीरू हिस्सा 1/3 को हल्फ किया जाना न्यायोचित है। राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा तस्दीक कर वादपत्र में प्राथमिक डिग्री जारी किया जाना फरमाया जावे। उक्त राजीनामा प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने दिनांक 14.12.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6/वादीगण का दावा डिक्री कर प्राथमिक डिग्री जारी की एवं तहसीलदार सूरजगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया कि भूमि के मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में उनके कब्जे व रिकार्ड के मुताबिक भौतिक बंटवारा करें। उसी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय रास्ते का भी प्रावधान रखा जावे लेकिन उक्त प्रकरण में अपीलांट/वादीगण के द्वारा दावे की मद संख्या 15 में चाही गयी इस्तदुआ एवं राजीनामा दिनांक 24.11.2017 को नजरअंदाज करते हुए तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.02.2018 को तैयार किया जिसमें बाई मिट्स

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

एवं बाई बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नही कर मनमाने तरीके से अपीलांट/प्रतिवादी के हिस्से में अच्छी जमीन नहीं देकर संपूर्ण अच्छी जमीन वादीगण के हिस्से में कर दिया तथा बुरी जमीन को अपीलांट के हिस्से में दर्ज कर दिनांक 12.04.2018 को विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट ने दिनांक 27.04.2018 को आपत्ति विभाजन प्रस्ताव बाबत प्रस्तुत की। लेकिन दिनांक 05.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति को महज अपीलांट के हस्ताक्षर होने के आधार पर अस्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही अंतिम डिक्री जारी किये जाने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार नहीं किये गये है। इसके विरूद्ध अपीलांट ने विचारण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की थी किन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट की आपत्ति केवल मात्र इस आधार पर खारिज कर दी कि विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस है अथवा नहीं इस पर भी कोई विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री जारी करवाई है। राजीनामें में अपीलांट द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की मांग की थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में इन विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है। अतः अपील स्वीकार कर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये राजीनामें के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव के निर्देश दिए गये है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार किये जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर है स्पष्ट है कि अपीलांट विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर उपस्थिति था। यह विभाजन प्रस्ताव उसकी उपस्थिति में तैयार किये गये है। यदि अपीलांट विभाजन प्रस्ताव से सहमत नहीं था तो विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता था। अपीलांट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं होना प्रमाणित होता हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री को विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.3.24 ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर